न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 184 / 2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम प्रिंस कुमार सिंह

आदेश की क्रम सख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
22/01/2021	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1234 / म0नि0को0, दिनांक–19.09.2020 से प्राप्त बहादुरपुर (पतोर ओ0पी0) कांड सं0–350 / 20, दिनांक–20.08.2020 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR07Z-4105** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी प्रिंस कुमार सिंह, पिता–फुलचन्द्र सिंह, साकिन–खैरा, वार्ड नं0–05, पो0–खैरा, थाना–बहादुरपुर, जिला–दरभंगा को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नही हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गई। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती के दौरान मुसहर टोली के मुख्य सड़क पर पहुँचने पर देखा गया कि सामने से एक मोटरसाईकिल सवार अपने मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR07Z-4105** के पीछे एक सफेद प्लास्टिक के 15 लीटर वाले गैलन को बांधे हुए एकाएक पहुँचा। पुलिस वाहन को देखकर अपना मोटरसाईकिल रोककर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया गया। तत्पश्चात् दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् तलाशी लेने पर उक्त वाहन मोटरसाईकिल पर बँधा हुआ 15 लीटर वाले सफेद रंग के प्लास्टिक गैलन में 10 लीटर देशी शराब पाया गया, जिसे विधिवत जब्त किया गया। चुँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR07Z-4105** पर बाँध कर ले जा रहे 15 लीटर वाले सफेद रंग के प्लास्टिक गैलन में 10 लीटर देशी शराब पाया गया, जिसे विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात् समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नही हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0	

सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बहादुरपुर (पतोर ओ0पी0) कांड सं0–350/20 दिनांक 20.08.2020 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR07Z-4105** को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा